



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1424।

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 31, 2012/श्रावण 9, 1934

No. 1424।

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 31, 2012/SHRAVANA 9, 1934

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2012

का.आ. 1723(अ).—बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (2006 का 4) की धारा 4 के अनुसरण में भारत सरकार निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके संबंधित क्षेत्र में राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है :

किशोर न्याय अथवा उपेक्षित अथवा वर्चित बच्चों अथवा विकलांग बच्चों की देखरेख

(i) सुश्री नीना पी. नायक,
2, चित्रकूट अपार्टमेंट्स,
18वां क्रास रोड, पश्चिमी मल्लेश्वरम,
बैंगलोर-560055

बाल स्वास्थ्य, देखरेख, कल्याण अथवा बाल विकास

(ii) डा. वंदना प्रसाद,
एल 91, सैक्टर-25,
नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301

सुश्री नीना पी. नायक का कार्यकाल कार्यभार संभालने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि हेतु अथवा 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, होगा। डा. वंदना प्रसाद का कार्यकाल कार्यभार संभालने की तारीख से 21 नवम्बर, 2013 अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, होगा।

[सं. 3-11/2010-सी.डब्ल्यू.एन.]

विवेक जोशी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD
DEVELOPMENT
NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2012

S.O. 1723(E).—In pursuance of Section 4 of the Commissions for Protection of Child Rights Act, 2005 (4 of 2006), the Government of India hereby appoints the following as Member of the National Commission for Protection of Child Rights in the respective fields :—

Juvenile Justice or care of neglected or marginalized children or children with disabilities

(i) Ms. Nina P. Nayak,
2, Chitrakut Apartments,
18th Cross Road, Malleshwaram West,
Bangalore-560055.

Child Health, Care, Welfare or Child Development

(ii) Dr. Vandana Prasad,
L 91, Sector 25,
Noida, U.P.-201301

Ms. Nina P. Nayak will hold office for a period of three years with effect from the date of taking charge or till she attains the age of 60 years or until further orders, whichever is earlier. Dr. Vandana Prasad will hold office up to 21st November, 2013 with effect from the date of taking charge or until further orders, whichever is earlier.

[No. 3-11/2010-CW-I]

VIVEK JOSHI, Jt. Secy.